भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3569
03 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए

देश में भूकंप सुरक्षित आवासन

3569. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है, यदि हां, तो संबंधित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या सुधार किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा भवन निर्माण में भूकंप सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या महानगरों में नए भवनों के निर्माण में भूकंप सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा आम जनता को इन नियमों के महत्व से अवगत कराने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (च): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक आईएस 1893 (भाग 1): 2016 में दिए गए भारत के भूकंपीय जोखिम क्षेत्र मानचित्र द्वारा देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, ने भी भारत के वल्नरेबिलिटी एटलस, 2019 में पूरे देश के लिए मौजूदा जोखिमों की स्थिति को प्रस्तुत किया है। यह एटलस संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए भूकंप के संबंध में डिजिटाइज्ड जिलेवार जोखिम मानचित्र प्रस्तुत करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अन्य मंत्रालयों और संगठनों से निविदा दस्तावेजों, गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन योजनाओं में भारत की वल्नरेबिलिटी

एटलस के प्रावधानों को शामिल करने का अनुरोध किया है, ताकि आपदा शमन उपायों का समुचित रूप से समाधान किया जा सके।

आवास, राज्य का विषय है, जिसमें भवन निर्माण उप-विधि का निर्माण और कार्यान्वयन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। भवन निर्माण में भूकंप सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और इन नियमों के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं:

i. मॉडल भवन निर्माण उप-विधि, 2016 जारी करना, जिसमें भूकंप सहित आपदाओं के लिए संरचनात्मक सुरक्षा पर एक अध्याय शामिल है।
ii. भारतीय मानक ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ भूकंप से सुरक्षा से संबंधित कई भारतीय मानक तैयार किए हैं।
iii. भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 (एनबीसी 2016) में आपदा प्रतिरोधी भवनों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित प्रावधान हैं, जिनका समय-समय पर कार्यशालाओं और वेबिनार के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है।
iv. बीएमटीपीसी, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों और आवास और अवसंरचना से जुड़े अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए भारत की वल्नरेबिलिटी एटलस, आपदा प्रतिरोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशालाओं, वेबिनार और सत्रों का आयोजन करता है।
